

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार

कार्यालय जिला कृषि पदाधिकारी, गढ़वा।

संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, कृषि भवन, पिपरा क्लां, गढ़वा। गढ़वा जिला में गढ़वा, रंका एवं बगर उंचारी प्रखण्ड मुख्यालय में एगी क्लीनिक की स्थापना एवं संचालन हेतु अल्पकालिन इच्छा की अभिव्यक्ति का Bid Document

गढ़वा जिला में किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि करने हेतु एगी क्लीनिक की स्थापना एवं संचालन के उद्देश्य से अनुभावी एवं इच्छुक ऐजेन्सी/संस्था/महिला समूह/संघ सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियां/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) से दिनांक 17-12-2024 के अपराह्न 1:00 बजे तक इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

एगी क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ई-मोबाइल एप्स के माध्यम से किसान सूचना संचार क्षेत्र के दायरे में आ जाएंगे। इसके पश्चात् जो भी समसामयिक कृषि विषयक सूचनाएं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग किसानों तक पहुंचाना चाहेगी वह सूचना उनके मोबाइल में भेजा जा सकता है। किसानों को एगी क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा- मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज, खाद कीटनाशी, सुक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुशासन, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि ज्ञान क्रेड, पशुपालन/डेटरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएं एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

1. एगी क्लीनिक का संचालन-

एगी क्लीनिक की स्थापना एगीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फर्मेशन सेंटर (ATIC) भवन में प्रस्तावित है। यह भवन 1592 वर्ग फीट का है। इस भवन में 35X9 फीट का एक बगर, 20X15 फीट का एक, 12X10 फीट के और दो, 15X10 फीट के कमरों के साथ शौचालय तथा 10X10 फीट का एक जेनेरेटर कमरा है। उक्त भवन में एगी क्लीनिक के लिए विभिन्न कमरे निम्न अंकित ले-आउट के अनुसार कार्य करेंगे। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

- बगर - कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था
- कमरा नं0-1 - एगी क्लीनिक के संपर्क पदाधिकारी का कमरा, कम्प्यूटर रूम
- कमरा नं0-2 - एगी क्लीनिक, कम्प्यूटर रूम
- कमरा नं0-3 - गिनी स्वाइल ट्रेस्टींग लैब
- कमरा नं0-4 - कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के विशेषज्ञ/पर्यालेक लैब के पदाधिकारी का कमरा
- कमरा नं0-5 - स्टोर रूम

2. एगी क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाएं-

एगी क्लीनिक में कृषकों को एगी क्लीनिक के 12 सर्विसेस से संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी। एगी क्लीनिक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं प्रक्रिया के संबंध में एगी क्लीनिक के भवन के बाहर सुरक्षा रूप में सूचना अंकित की जायेगी। यह सूचना दीवार लेखन/ बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। एगी क्लीनिक में आने वाले कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था रहेगी। एगी क्लीनिक में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध रहेगी।

3. एगी क्लीनिक की कार्य प्रणाली-

एगी क्लीनिक प्रतिदिन 8 घंटे कृषकों को सेवा उपलब्ध कराएगी। एगी क्लीनिक की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 बजे पूर्णाह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगी। यदिवार एवं N.I. Act के तहत घोषित छुट्टियों में एगी क्लीनिक बंद रहेगा। कृषकों के आगमन के उपर्यंत उनके आवश्यकता के अनुरूप आवेदन पत्र हेतु प्रपत्र/लेखन सामग्री सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त आवेदन एगी क्लीनिक में जमा करने के पश्चात् पावती रसीद कृषकों को दी जाएगी एवं एगी क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी वर्णित विवरणी के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा एक

रजिस्टर संधारण किया जाएगा, जिसमें ऐसी कलीनिक में आने वाले कृषकों की पूरी जानकारी, उद्देश्य एवं कृत कार्याई संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

4. दल की संरचना-

ऐसी कलीनिक के अंतर्गत समूह/संस्था द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें कुल तीन सदस्य होंगे जिनमें एक कर्मी की न्यूनतम योग्यता B.Sc (Agri) तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर दक्षता (न्यूनतम DCA) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

ऐसी कलीनिक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के साथ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष, जनसेवक आदि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, गव्य, भूमि संरक्षण के पदाधिकारी/कर्मचारी भी सेंटर पर रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन में सहयोग करेंगे।

5. मासिक प्रगति प्रतिवेदन-

ऐसी कलीनिकों के परिवालन का कार्य सुचारू रूप से करते हुए नियंत्रित कार्यसूची पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी (ऐसी कलीनिक) को देना होगा। प्रतिमाह व्यय प्रतिवेदन एवं विपत्र भी उपस्थापित करना होगा।

6. वित्तीय प्रावधान-

ऐसी कलीनिक संचालन हेतु रु0 7.00 लाख प्रति वर्ष प्रति ऐसी कलीनिक की दर से देय होगा।

7. ऐसी कलीनिक के कार्य-

- कृषकों के खेत से भिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल ट्रैस्टिंग लैब में जांच कर सृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित के0सी0सी0 आवेदन के जांचोपरांत नजदीकी बैंक शाखा को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जाएगा एवं किसान केंटिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जाएगी।
- कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैन्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा [jharkhandpdmc.com](http://harkhandpdmc.com) के साइट पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ऑनलाईन आवेदन भरा जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाइल पर एस.एम.एस के माध्यम से उपलब्ध होगी।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरा जाएगा एवं अनुज्ञाप्ति निर्गत होने के उपरांत की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- कृषकों के मांग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- मौसम की भविष्यवाणी एवं तदनुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।
- संपर्क पदाधिकारी / प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक / कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरांत सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का गहरीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण, झीप बोरिंग, बिरसा पक्का चेक डेम, परकोलेशन टैंक, सौर ऊर्जा संचालित पम्पसेट में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमि संरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरांत इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे।
- कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएं/नई योजनाओं संबंधी सूचनाएं/ प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएं/ विभिन्न कृषि नेता/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाएं कृषकों को उपलब्ध कराना/ जागरूक करना।

- पशुपालन /डेयरी/ मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा एवं स्वीकृति उपरांत इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/ अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्जी क्लीनिक के सूचना पट्ट पर कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी।
- e-Nam में पंजीकृत किसानों को एस.एम.एस के माध्यम से सामयिक कृषि गौसम, फसल नंडी भाव एवं कीटव्यापि आदि की सूचना देना भी कार्यकारी एजेंसियों का दायित्व होगा। इस कार्य हेतु वे विषणु सचिव से समन्वय स्थापित कर सूची प्राप्त कर लेंगे।

8. चयन हेतु पात्रता-

इच्छुक एजेंसी/संस्था/महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/ सहकारी समितियां, गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) का चयन उनके पूर्व के कार्य अनुभव, मानव बल तथा एग्जी क्लीनिक/सेन्टर चलाने के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाएगा, जिसके समर्थन में समस्त प्रासंगिक अभिप्रामाणित कागजात समर्पित किए जाने आवश्यक हैं:

- इच्छुक एजेंसी/संस्था/समूह का एग्जी क्लीनिक के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों/कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
- इच्छुक एजेंसी/संस्था/समूह का विगत तीन वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) का औसत वार्षिक टर्न ओवर व्यूनतम पांच लाख होना अपेक्षित है, जिस कम में प्रस्ताव के साथ अंकोक्षित बैलेंस शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- इच्छुक एजेंसी/संस्था/समूह के नाम से जी0एस0टी0 नं0 एवं पैन नं0 होना अनिवार्य है।
- इच्छुक एजेंसी/संस्था/समूह किसी भी सरकार/संगठन के द्वारा काली सूची में दर्ज न हो। इस आशय का शपथपत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- झारखण्ड राज्य में कार्य कर रहे एजेंसी/संस्था/समूह द्वारा कार्य योजना PPT के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- इच्छुक एजेंसी/संस्था/समूह के द्वारा रु0 2,500/- (दो हजार पांच सौ रुपया) का डिमाण्ड इंवाप्ट आवेदन पत्र के साथ जिला कृषि पदाधिकारी, गढ़वा के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

9. अनुबंध की अवधि-

- चयनित एजेंसियों/संस्थाओं को उपायुक्त के साथ एक साल के लिए MOU करना होगा कंडिका-07 में उल्लेखित कार्यों के आधार पर चयनित एजेंसियों/संस्थाओं के Performance का मूल्यांकन कर अगले 02 वर्षों तक MOU का विस्तार किया जा सकेगा परंतु किसी भी एजेंसी का अवधि विस्तार लागतार 03 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

10. इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करने की प्रक्रिया तथा आवश्यक लिङेश-

- तकनीकी प्रस्ताव अनिवार्य रूप से सीलबंद लिफाफे में समर्पित किये जाएंगे। लिफाफे के उपर ‘तकनीकी बिड’ अंकित कर उसे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर जमा किया जाएगा।
- आवश्यक कागजातों/दस्तावेजों के बगैर प्राप्त तथा आधे-अधूरे प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
- गतिसुनिश्चित समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताए प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत/अंशतः स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- नियांत्रित समय एवं तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव दिनांक 17-12-2024 के अपराह्न 1:00 बजे तक संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, कृषि भवन, पिपरा कलां, गढ़वा के कार्यालय में कूरियर/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/हायों-टाय जमा कराया जा सकता है। उपलब्ध प्रस्ताव को खोले जाने की पूर्व सूचना आप सभी को दे दिया जाएगा।
- प्रस्ताव खोलने के समय समूह/संस्था अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

- गतिं समति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- आवेदक संस्था के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, गढ़वा के नाम से रु0 2,500 (दो हजार पाँच सौ रुपया) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रूप में जमा किया जाएगा।
- आधे-अधूरे तथा नियत समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- इच्छुक एजेंसी/संस्था/समूह इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित दस्तावेज कार्यालय अवधि में जिला कृषि पदाधिकारी, गढ़वा के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा परियोजना निदेशक आत्मा, गढ़वा के वेबसाईट www.atmagarhwa.org से डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, गढ़वा (झारखण्ड) के ई-मेल agriculturegarhwa2015@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

11. मूल्यांकन मापदंड-

क्र०	मानक	अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
1	कृषि एवं संबंध कार्यों में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव	5 अंक (तीन वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए)	1 5	2 5
2	एग्री क्लीनिक / सेंटर चलाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव	5 अंक (तीन वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए)	1 5	2 5
3	वार्षिक टर्ज ओवर	5 अंक प्रत्येक पांच लाख पर (न्यूनतम पांच लाख के बाद)	1 0	2 5
4	झारखण्ड में कार्यालय		0 5	0 5
5	Power Point प्रस्तुतीकरण (एग्री क्लीनिक संचालन के संदर्भ में)		0 5	2 0
कुल			5 0	1 00

12. Earnest Money Deposit (EMD)-

चयनित एजेंसी/संस्था/समूह को EMD के रूप में 30 हजार रु0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी देना अनिवार्य होगा। यह राशि अनुबंध खत्म होने के पश्चात् लौट दी जाएगी।

13. EMD की जदी-

चयनित एजेंसी/संस्था/समूह की EMD निम्नलिखित स्थिति में जब्त कर ली जाएगी।

- चयनित संस्था के द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर।
- चयनित संस्था के द्वारा काम छोड़ने पर।
- चयनित संस्था के द्वारा सरकारी भवन तथा यंत्र नष्ट करने पर।

Brard 21/2/2014
जिला कृषि पदाधिकारी,
गढ़वा।